

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : एफ 1(2)शिक्षा-1 / 2014

जयपुर, दिनांक : 07.02.2018


1. राज्य परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर।

**विषय : सार्वजनिक-निजी सहभागिता (Public Private Partnership) नीति
2017 के क्रियान्वयन को स्थगित किये जाने के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सार्वजनिक-निजी सहभागिता (Public Private Partnership) नीति 2017 के संबंध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों द्वारा की गयी आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर राज्य सरकार को अनुशंषा किये जाने हेतु माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है :-

1. श्री गुलाब चंद कटारिया, माननीय गृह मंत्री।
2. श्री राजेन्द्र राठौड़, माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री।
3. श्री वासुदेव देवनानी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।


समिति की अनुशंषा प्राप्त होने एवं अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने तक सार्वजनिक-निजी सहभागिता (Public Private Partnership) नीति 2017 के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है।


07/02/2018
(राम स्वरूप झालानी)
शासन उप सचिव- प्रथम

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री गृह विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग।
9. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर।
10. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


07/2
उपनिदेशक, मूल्यांकन